राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प.19 (15)Dop/A-2/2024 जयपुर दिनांकः 29 NOV 2024

आदेश

किियाना माइक्रोहेल्प फाउण्डेशन द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 16.10.2024 के विरूद्ध शासन सचिव, कार्मिक विभाग को द्वितीय अपील की गई हैं।

कार्मिक विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिनांक 22.11.2024 को प्रातः 10.30 बजे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा कियाना माइक्रोहेल्प फाउण्डेशन को अपना पक्ष रखने हेतु शासन सचिव (द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2024 को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अपील से संबंधित दस्तावेजों/अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन/निरीक्षण किया गया एवं दोनो पक्षों को सुना गया।

चूंकि प्रकरण में आरएसएसबी द्वारा 01 माह का ही कार्यादेश दिया गया, अतः प्रस्तुत अपील का निस्तारण करते हुए फर्म मैं. कियाना माइक्रोहेल्प फाउण्डेशन, 304, कृष्णा कुंज, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की आगामी निविदाओं की प्रक्रिया में भाग लेने से 02 वर्ष के स्थान पर 06 माह की अवधि के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

आज्ञा से,

(कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निदेशक, कियाना माइक्रोहेल्प फाउण्डेशन, 304, कृष्णा कुंज, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त द्वितीय अपील हेतु प्राप्त मूल डीडी संख्या "011473" राशि रू. 10,000/–दिनांक 18.10.24 राजकोष में समुचित मद में जमा कराने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner